537/2021

रिपोर्ट पटवारी हल्का/आई0एल0आर0 ..... प्रशासन 2021

आवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार प्रार्थी ..... के खाता 78 में ..... पीया दर्ज है जो किसी भी प्रकार आधारकार्ड परिवारपत्र जमाबन्दी जैसा संख्या 214 में हीरालाल पुत्र ओमा दर्ज है जो कि शुद्ध किया जाना प्रस्तावित है।

पटवारी 23/10/21 — तहसीलदार 23/10/21

कार्यालय तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

क्रमांक : राजस्व/2020/ दिनांक :–

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर निवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक का नाम दुरूस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरूस्त किये जाने की अभिशंषा की जाती है / की जाती है।

महो

तहसीलदार गढ़ा गौड़जी

तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनूं (राज.)

–: आदेश :–

दिनांक :– 26/10/21

प्रार्थी के "खाता दुरूस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्वत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	खीवासर	2075-78	78	हीरालाल पुत्र पीया	हीरालाल पुत्र ओमाराम

नोट :–शेष पृविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :– राजस्व/2020/ 411-12

दिनांक :– 26/10/21

प्रतिलिपि :–

1. तहसीलदार (भू0अ0) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते ज्ञ।
2. प्रार्थी/प्रार्थीया ..... को सूचनार्थ।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.01.05 11:04:51 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

Scanned with CamScanner